MCDR-MiFLOLST/6/2022-DDN-IBM_RO_DDN

1/37773/2024



भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines

भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines 100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.)248001

TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईलसंख्याFile No: MCDR-MiFL0LST/6/2022-

Mine Code: 38HPR10019

दिनांक, 14 -08 -2024

DDN- IBM_RO_DDN

मैसर्स गुप्ता एसोसिएटस

E-mail: guptaassociates009@gmail.com

(मैनेजिंग पार्टनर श्री रमेश गुप्ता) मंडोली हिमालया चूनापत्थर खान गांव व पोस्ट ददाहू, तहसील- रेणुकाजी,

जिला- सिरमौर, हिं.प्र.

विषय Sub:

सेवा मेंTo:

हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले की ददवु तहसील में निकट मंडोली गांव में आपकी भूतमारी चूनापत्थर खान

(15.550 हेक्टेयर क्षेत्र) के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधान का उल्लंघन।

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 30.06.2024 को श्री लाल संजीव कृष्णा प्रसाद, भूविज्ञानी की उपस्थिति मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया

<u>RULE</u> <u>NO.</u>	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	 Mining operations were not carried out in accordance with the approved Modified mining plan with PMCP vide letter no 614(2)/MP-B-278/08-DDN dated 05-03-2019 with a plan period from 2019-20 to 23-24 to the following extent: a) As per proposal waste material dumping was proposed north east flank of mining lease but during the inspection it was found waste material also dumped near boundary line G-H between N 30 41'11.08", 77 26' 22.73" to N 30 41' 09.74", 77 26'25.35" which is not as per proposals. b) One dump also observed towards north-east of the lease below the Electric Line as per rule no dumping shall be carried out within 50 meter of Electric Line. c) As per proposal 30 meter Retaining wall proposed along the waste dump but during the inspection it was observed Retaining wall not constructed along the Dump.
45(7)	In the submitted Annual return 2023-24, discrepancy is found as follows: The holder of a mining lease has submitted incomplete or wrong information in Annual returns 1) It is found that Registration No of sale party under the head "Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer" has not been furnished in Part-II at para-"5 Sales-Despatches effected for Domestic Purposes and for Exports".

- 2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंगन नियम 62(1) एमसीडीआर नियम, 2017 के तेहत दंडनीय अपराध हैं, 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) के तहत दंडनीय है ।
- 3. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंशा की जा सकती है,और / या आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 4. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय/Yours faithfully

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma) सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र 0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र 0). (geologicalwing@gmail.com)
- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines